



2026:AHC:56477

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत बीएनएसएस की धारा 528 संख्या - 3517 वर्ष 2026

शांति देवी

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : विनोद कुमार पाण्डेय

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 77

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद कुमार पाण्डेय, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान आवेदन उन राहतों के लिए दायर किया गया है जिनका उल्लेख आवेदन के प्रार्थना खंड में किया गया है। प्रार्थना खंड को नीचे वर्णित किया गया है:-

"अतः अत्यंत आदरपूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक इस आवेदन को स्वीकार करने और मुकदमा अपराध संख्या 046/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी, 34 भारतीय दंड संहिता, थाना- सिकंदरपुर, जिला बलिया के संबंध में आर्थिक अपराध शाखा, संगठन क्षेत्र वाराणसी के निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत आक्षेपित आरोप पत्र दिनांकित 18.09.2025, जो कि आरोप पत्र संख्या 08सी/2023 है, को रद्द करने की कृपा करे, और साथ ही उक्त आरोप पत्र के परिणामस्वरूप होने वाली समस्त अनुवर्ती कार्यवाही को भी रद्द करने की कृपा करे, जिसमें विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), न्यायालय संख्या

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1, वाराणसी द्वारा आदेश दिनांक 13.10.2025 के माध्यम से लिया गया संज्ञान शामिल है, जो कि विशेष विचारण संख्या 320/2023 (राज्य बनाम कामेश्वर राय और अन्य) के रूप में है।"

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि समान वाद-कारण के लिए, सह-अभियुक्तों के संबंध में विचारण न्यायालय में लंबित कार्यवाही को इस न्यायालय द्वारा पूर्व में ही आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या 39496/2023, 'अर्जुन राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य' (समान मामलों का समूह) में दिनांक 16.12.2025 को पारित आदेश द्वारा रद्द किया जा चुका है तथा उक्त निर्णय के आंतरिक पृष्ठ 10 के पैराग्राफ (xi) में सह-अभियुक्त का नाम क्रम संख्या 39 पर और मामले का विवरण उल्लिखित है। दिनांक 16.12.2025 का आदेश नीचे वर्णित किया गया है:-

"1. चूंकि इन सभी मामलों में आवेदकों के विरुद्ध समान आरोप लगाए गए हैं और सभी मामलों में एक ही मुद्दा शामिल है, इसलिए इन सभी आवेदनों को एक साथ सुना जा रहा है और एक ही साझा आदेश द्वारा इनका निस्तारण किया जा रहा है।

2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्तागण-प्रथम श्री विजय कुमार एवं डॉ. एस.बी. मोर्य को सुना गया।

3. आवेदकों द्वारा निम्नलिखित प्रार्थनाएँ की गई:-

(i) आवेदक अर्जुन राम ने मुकदमा अपराध संख्या 66बी/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, थाना बैरिया, जिला बलिया से उत्पन्न आरोप-पत्र संख्या 5बी/2020 दिनांक 30.01.2020 के साथ-साथ संज्ञान एवं सम्मन आदेश दिनांक 05.10.2023 और विशेष विचारण संख्या 10/2019 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है, जो विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) प्रथम, वाराणसी के न्यायालय में लंबित है।

(ii) आवेदक विजेंद्र सिंह, लल्लन राय, भीम और शाहनवाज अंसारी ने मुकदमा अपराध संख्या 34ए/2006, धारा 409, 419, 420, 467, 468, 471, 201, 120बी/34 भारतीय



दंड संहिता, थाना नरही, जिला बलिया में दिनांक 08.10.2018 के आरोप-पत्र को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(iii) आवेदक लक्ष्मी नारायण चौधरी उर्फ लक्ष्मी नाथ चौधरी ने मुकदमा अपराध संख्या 41ए/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, थाना सुखपुरा, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण संख्या 61/2023 में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) प्रथम, वाराणसी द्वारा पारित आरोप-पत्र संख्या 7बी/2014 दिनांक 31.12.2022 के साथ-साथ संज्ञान एवं सम्मन आदेश दिनांक 06.07.2023 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(iv) आवेदक राम मूर्ति राम उर्फ राम मूर्ति ने मुकदमा अपराध संख्या 20/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, थाना हल्दी, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष मामला संख्या 07/2019 में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायालय संख्या 1, वाराणसी द्वारा पारित आरोप-पत्र दिनांक 08.11.2019 के साथ-साथ सम्मन आदेश दिनांक 10.12.2019 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(v) आवेदक राम मूर्ति राम उर्फ राम मूर्ति ने मुकदमा अपराध संख्या 45बी/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, थाना सिकंदरपुर, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष मामला संख्या 08/2019 में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायालय संख्या 1, वाराणसी द्वारा पारित आरोप-पत्र दिनांक 15.03.2018 के साथ-साथ सम्मन आदेश दिनांक 10.12.2019 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(vi) आवेदक राम मूर्ति राम उर्फ राम मूर्ति ने मुकदमा अपराध संख्या 82/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, थाना उभाव, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष मामला संख्या 12/2019 में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायालय संख्या



1, वाराणसी द्वारा पारित आरोप-पत्र दिनांक 08.11.2019 के साथ-साथ सम्मन आदेश दिनांक 10.12.2019 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(vii) आवेदक अरुण कुमार मिश्रा ने मुकदमा अपराध संख्या 57बी/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, थाना रेवती, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण संख्या 823/2023 में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित आरोप-पत्र संख्या 17/2019 दिनांक 05.12.2019 के साथ-साथ संज्ञान आदेश दिनांक 10.11.2023 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(viii) आवेदक सूर्य मुखी यादव, सुदर्शन यादव, लालचंद्र पांडेय, राम प्रताप सिंह, राजबहादुर, सत्य नारायण प्रसाद, हरिहर यादव, राजेंद्र प्रसाद सिंह, छेदी राम, सिकिल चंद्र प्रसाद, बबबन यादव और श्री किशुन वर्मा ने विशेष न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 48ए/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता, थाना गदवार, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण संख्या 725/2023 की कार्यवाही और आरोप-पत्र दिनांक 07.10.2023 के साथ-साथ संज्ञान आदेश दिनांक 12.10.2023 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(ix) आवेदक चंगुर राम और वेद रतन राम ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 82/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता, थाना उभावं, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण संख्या 12/2019 में आरोप-पत्र संख्या 16ए/2019 दिनांक 29.05.2021 के साथ-साथ संज्ञान एवं सम्मन आदेश दिनांक 31.05.2022 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(x) आवेदक श्रीमती गीता देवी ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 40ए/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता, थाना नगरा, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण संख्या 569/2022 में आरोप-पत्र संख्या 50ए/2021



दिनांक 02.05.2022 के साथ-साथ सम्मन आदेश दिनांक 12.05.2022 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(xi) आवेदक राम मूर्ति राम उर्फ राम मूर्ति ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 66/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना बैरिया, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष मामला संख्या 11/2019 में आरोप-पत्र दिनांक 14.05.2022 के साथ-साथ सम्मन आदेश दिनांक 18.06.2022 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(xii) आवेदक राम मूर्ति राम उर्फ राम मूर्ति ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 36/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना मनियर, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण (S.T.) संख्या 631/2022 में आरोप-पत्र दिनांक 01.04.2021 के साथ-साथ सम्मन आदेश दिनांक 27.05.2022 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(xiii) आवेदक राम मूर्ति राम उर्फ राम मूर्ति ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 57बी/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना रेवती, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण संख्या 823/2023 में आरोप-पत्र दिनांक 13.05.2022 के साथ-साथ सम्मन आदेश दिनांक 10.11.2023 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(xiv) अपीलकर्ता किरण देवी, राम नारायण, शिवजी प्रसाद, सत्य देव, राम आशीष, राज नारायण यादव उर्फ राजनाथ यादव और उदयभान पांडेय ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 49ए/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 201, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता, थाना गदवार, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण संख्या 626/2020 में संज्ञान आदेश दिनांक 28.09.2020 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।



(xv) अपीलकर्ता श्रीमती सोना देवी और श्रीमती इंदु देवी ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 40ए/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता, थाना नगरा, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण संख्या 569/2023 में आरोप-पत्र संख्या 05ए/2021 दिनांक 02.05.2022 के साथ-साथ संज्ञान एवं सम्मन आदेश दिनांक 12.05.2022 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(xvi) आवेदक राम मूर्ति राम उर्फ राम मूर्ति ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 57ए/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना रेवती, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष मामला संख्या 978/2022 में आरोप-पत्र दिनांक 15.03.2018 के साथ-साथ सम्मन आदेश दिनांक 26.08.2022 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(xvii) आवेदक अमरेश्वर सिंह ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 36/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना मनियर, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण संख्या 631/2022 में आरोप-पत्र दिनांक 01.04.2021 के साथ-साथ सम्मन आदेश दिनांक 27.05.2022 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(xviii) आवेदक राम किशुन राम उर्फ राम किशुन ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 57ए/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना रेवती, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण (S.T.) संख्या 978/2022 में आरोप-पत्र दिनांक 12.05.2022 के साथ-साथ सम्मन आदेश दिनांक 26.08.2022 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(xix) आवेदक केदार प्रसाद उर्फ केदार प्रसाद गुप्ता ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 57ए/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड



संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना रेवती, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष मामला संख्या 978/2022 में आरोप-पत्र दिनांक 05.12.2022 के साथ-साथ सम्मन आदेश दिनांक 06.04.2023 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(xx) आवेदक विमल कुमार शुक्ला ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 36/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना मनियर, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण संख्या 631/2022 के साथ-साथ संज्ञान आदेश दिनांक 17.05.2022 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(xxi) आवेदक राम किशुन राम उर्फ राम किशुन ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 20/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना हल्दी, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण संख्या 07/2029 में आरोप-पत्र दिनांक 07.01.2021 के साथ-साथ सम्मन आदेश दिनांक 19.04.2023 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(xxii) आवेदक राम मूर्ति राम उर्फ राम मूर्ति ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 18/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना दोकटी, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण संख्या 06/2019 में आरोप-पत्र दिनांक 03.07.2020 के साथ-साथ सम्मन आदेश दिनांक 24.06.2023 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(xxiii) आवेदक राम मूर्ति राम उर्फ राम मूर्ति ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 66बी/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना बैरिया, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष मामला संख्या 10/2019 में आरोप-पत्र दिनांक 28.05.2019 के साथ-साथ सम्मन आदेश दिनांक 10.12.2019 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।



(xxiv) आवेदक लक्ष्मी नारायण चौधरी उर्फ लक्ष्मी नाथ चौधरी ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 57ए/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना रेवती, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण संख्या 978/2022 में आरोप-पत्र संख्या 2डी/2018 दिनांक 03.10.2022 के साथ-साथ संज्ञान एवं सम्मन आदेश दिनांक 06.04.2023 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(xxv) आवेदक अर्जुन राम ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 18/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना दोकटी, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण संख्या 06/2019 में आरोप-पत्र संख्या 14ए/2019 दिनांक 03.07.2020 के साथ-साथ संज्ञान एवं सम्मन आदेश दिनांक 24.06.2023 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(xxvi) आवेदक राम मूर्ति राम उर्फ राम मूर्ति ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 41ए/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना सुखपुरा, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष मामला संख्या 61/2023 में आरोप-पत्र दिनांक 15.03.2018 के साथ-साथ सम्मन आदेश दिनांक 06.07.2023 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(xxvii) आवेदक लक्ष्मी नारायण चौधरी उर्फ लक्ष्मी नाथ चौधरी ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 82/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना उभावं, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण संख्या 12/2019 में आरोप-पत्र संख्या 16E/2019 दिनांक 23.09.2022 के साथ-साथ संज्ञान एवं सम्मन आदेश दिनांक 26.09.2022 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।



(xxviii) आवेदक अर्जुन राम ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 82/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना उभाव, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण संख्या 12/2019 में आरोप-पत्र संख्या 16F/2019 दिनांक 27.09.2022 के साथ-साथ संज्ञान एवं सम्मन आदेश दिनांक 23.11.2022 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(xxix) आवेदक अर्जुन राम ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 41ए/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना सुखपुरा, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण संख्या 61/2023 में आरोप-पत्र संख्या 7बी/2014 दिनांक 31.12.2022 के साथ-साथ संज्ञान एवं सम्मन आदेश दिनांक 06.07.2023 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(xxx) आवेदक रवि कुमार ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 57ए/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना रेवती, जिला बलिया से उत्पन्न सत्र मामला संख्या 978/2022 में आरोप-पत्र दिनांक 12.05.2022 के साथ-साथ सम्मन आदेश दिनांक 26.08.2022 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(xxxi) आवेदक सुरेंद्र नाथ मिश्रा ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 66ए/2006, धारा 409, 419, 420, 467, 468, 471, 120बी, 218, 201, 34 भारतीय दंड संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना बैरिया, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण संख्या 1032/2024 में आरोप-पत्र दिनांक 14.08.2023 के साथ-साथ सम्मन आदेश दिनांक 05.11.2024 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(xxxii) आवेदक रामेंद्र यादव ने विशेष न्यायाधीश (पी.सी. एक्ट), न्यायालय संख्या 1 वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 34ए/2006, धारा 409, 420,



467, 468, 471, 477ए, 201, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और धारा 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना नरही, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण संख्या 02/2018 की कार्यवाही के साथ-साथ संज्ञान आदेश दिनांक 07.10.2020 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(xxxiii) आवेदक अर्जुन राम ने मुकदमा अपराध संख्या 56बी/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 201, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और धारा 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना रसड़ा, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण संख्या 04/2019 में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), न्यायालय संख्या 1, वाराणसी द्वारा पारित आरोप-पत्र संख्या 2सी/2019 दिनांक 14.11.2019 के साथ-साथ संज्ञान आदेश दिनांक 07.10.2020 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(xxxiv) आवेदक राम मूर्ति राम उर्फ राम मूर्ति ने मुकदमा अपराध संख्या 56बी/2006, धारा 409, 419, 420, 467, 468, 471, 477ए, 201, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और धारा 13(2) पी.सी. एक्ट से उत्पन्न विशेष मामला संख्या 04/2019 में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायालय संख्या 1, वाराणसी द्वारा पारित आरोप-पत्र दिनांक 19.01.2019 के साथ-साथ सम्मन आदेश दिनांक 26.09.2019 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(xxxv) आवेदक राम मूर्ति राम उर्फ राम मूर्ति ने मुकदमा अपराध संख्या 49ए/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 201, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और धारा 13(2) पी.सी. एक्ट से उत्पन्न विशेष मामला संख्या 626/2020 में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायालय संख्या 1, वाराणसी द्वारा पारित आरोप-पत्र दिनांक 19.01.2019 के साथ-साथ सम्मन आदेश दिनांक 28.09.2019 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(xxxvi) आवेदक विकास कुमार ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 48-खा/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 201, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना गदवार, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण संख्या 14/2019



की कार्यवाही और संज्ञान आदेश दिनांक 11.12.2019 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(xxxvii) आवेदक राम मूर्ति राम उर्फ राम मूर्ति ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 48-बी/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 201, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना गदवार, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष मामला संख्या 14/2019 में आरोप-पत्र दिनांक 19.01.2019 के साथ-साथ सम्मन आदेश दिनांक 11.12.2019 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(xxxviii) आवेदक राम अधार कुशवाहा ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 56ए/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना रसड़ा, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण संख्या 999/2022 में आरोप-पत्र संख्या 2सी/2018 दिनांक 15.02.2023 के साथ-साथ संज्ञान एवं सम्मन आदेश दिनांक 06.02.2024 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(xxxix) आवेदक अर्जुन राम ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 57बी/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना रेवती, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण संख्या 823/2023 में आरोप-पत्र संख्या 2सी/2018 दिनांक 05.12.2019 के साथ-साथ संज्ञान एवं सम्मन आदेश दिनांक 10.11.2023 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(xl) आवेदक कामेश्वर राय ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 46/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना सिकंदरपुर, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण संख्या 320/2023 में आरोप-पत्र संख्या 08/2023 दिनांक 03.04.2023 के साथ-साथ संज्ञान एवं सम्मन आदेश दिनांक 26.04.2023 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।



(xli) आवेदक सीताराम सिंह, नवनाथ ओझा, योगेंद्र नाथ ओझा और चंद्रावती देवी ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 20/2006, धारा 409, 419, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता, थाना हल्दी, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण संख्या 07/2019 में आरोप-पत्र संख्या 15डी/2019 दिनांक 20.01.2025 के साथ-साथ संज्ञान एवं सम्मन आदेश दिनांक 05.06.2025 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(xlii) आवेदक सत्येंद्र सिंह गंगवार ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 36/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना मनियर, जिला बलिया से उत्पन्न सत्र मामला संख्या 631/2022 में आरोप-पत्र संख्या 08/2019 दिनांक 03.08.2019 के साथ-साथ संज्ञान आदेश दिनांक 27.05.2022 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(xliii) आवेदक राम मूर्ति राम उर्फ राम मूर्ति ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 42/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना सुखपुरा, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण संख्या 369/2025 में आरोप-पत्र दिनांक 03.08.2019 के साथ-साथ सम्मन आदेश दिनांक 29.04.2025 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(xliv) आवेदक राम मूर्ति राम उर्फ राम मूर्ति ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 32/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना दुबहर, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण संख्या 480/2025 में आरोप-पत्र दिनांक 04.04.2019 के साथ-साथ सम्मन आदेश दिनांक 24.05.2025 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(xlv) आवेदक राम आसरे यादव उर्फ रामाश्रय यादव ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध



संख्या 66बी/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना बैरिया, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष मामला संख्या 10/2019 में आरोप-पत्र दिनांक 30.01.2020 के साथ-साथ सम्मन आदेश दिनांक 05.10.2023 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(x/vi) आवेदक लक्ष्मी नारायण चौधरी ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 17/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना दोकटी, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण संख्या 13/2019 में आरोप-पत्र संख्या 7डी/2018 दिनांक 26.08.2022 के साथ-साथ संज्ञान आदेश दिनांक 06.04.2023 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(x/vii) आवेदक राम मूर्ति राम उर्फ राम मूर्ति ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 17/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना दोकटी, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष मामला संख्या 13/2019 में आरोप-पत्र दिनांक 09.11.2019 के साथ-साथ सम्मन आदेश दिनांक 10.12.2019 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(x/viii) आवेदक हीरा लाल ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 82-बी/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना उभाव, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण संख्या 09/2019 में आरोप-पत्र संख्या 12ए/2019 दिनांक 12.09.2022 के साथ-साथ संज्ञान आदेश दिनांक 11.07.2025 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(xlix) आवेदक राम मूर्ति राम उर्फ राम मूर्ति ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 82-बी/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना उभाव, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष मामला



संख्या 09/2019 में आरोप-पत्र दिनांक 06.11.2019 के साथ-साथ सम्मन आदेश दिनांक 10.12.2019 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(xi) आवेदक कुलदीप सिंह ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 40ए/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना नगरा, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण संख्या 569/2022 में आरोप-पत्र संख्या 5ए/2021 दिनांक 02.05.2022 के साथ-साथ संज्ञान एवं सम्मन आदेश दिनांक 12.05.2022 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(ii) आवेदक विजय कुमार चौधरी ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 56ए/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना रसड़ा, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण संख्या 999/2022 में आरोप-पत्र संख्या 2डी/2022 दिनांक 20.10.2023 के साथ-साथ संज्ञान एवं सम्मन आदेश दिनांक 01.12.2023 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

(iii) आवेदक अश्वनी कुमार श्रीवास्तव ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित मुकदमा अपराध संख्या 49ए/2006, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी/34 भारतीय दंड संहिता और 13(2) पी.सी. एक्ट, थाना गदवार, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण संख्या 626/2020 की कार्यवाही के साथ-साथ संज्ञान आदेश दिनांक 28.09.2020 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान आवेदन दायर किया है।

4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ताओं ने यह प्रस्तुत किया कि इन सभी वर्तमान आवेदनों पर केवल इस एकमात्र आधार पर जोर दिया जा रहा है कि इन सभी मामलों की जांच एक दशक (10 वर्ष) से अधिक समय तक जारी रही, और इस कारण आवेदकों के 'त्वरित विचारण' के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है।



5. उन्होंने आगे यह दलील दी कि इन सभी मामलों की प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 2006 में दर्ज की गई थी और इन सभी मामलों में आरोप-पत्र वर्ष 2019 के बाद दाखिल किए गए हैं। अतः इन सभी मामलों की जांच बारह वर्षों से अधिक समय तक चलती रही, जिसके कारण आवेदकों के त्वरित विचारण के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है।

6. उन्होंने आगे यह दलील दी कि अब तक कानून पूरी तरह से स्थापित हो चुका है कि 'त्वरित विचारण' के मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर विचार करते समय जांच में हुई देरी को भी संज्ञान में लिया जाना चाहिए। उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पंकज कुमार बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य 2008 (16) एससीसी 117 के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने रॉबर्ट लालचुंगनुंगा चोंगथु उर्फ आर.एल. चोंगथु बनाम बिहार राज्य 2025 आईएनएससी 1339 के मामले में भी यह टिप्पणी की है कि जहाँ जांच के संचालन में देरी होती है और अभियोजन पक्ष इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो इस आधार पर आरोपी के विरुद्ध लंबित अभियोजन को रद्द किया जा सकता है।

7. उन्होंने आगे कहा कि इन सभी वर्तमान मामलों में अभियोजन पक्ष ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका कि आखिर जांच बारह वर्षों से अधिक समय तक क्यों जारी रही।

8. उन्होंने आगे यह दलील दी कि सामान्य और व्यापक आरोपों के आधार पर वर्ष 2006 में कुल 51 एफआईआर दर्ज की गई थीं, जिनमें वर्तमान मामले भी शामिल हैं। इनमें यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी व्यक्तियों ने 'सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना' से संबंधित सार्वजनिक धन का गबन किया है, और इन सभी मामलों में जांच बारह वर्षों से अधिक समय तक चलती रही।

9. उन्होंने आगे यह दलील दी कि जब उपरोक्त मामलों के कुछ अन्य अभियुक्तों ने इस आधार पर कार्यवाही रद्द करने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि जांच एक दशक से अधिक समय तक जारी रही और उनके त्वरित विचारण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, तब इस न्यायालय ने उनके आवेदनों-आवेदन अंतर्गत धारा 528 संख्या 21588 वर्ष 2025 (गिरीश पांडेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य), आवेदन अंतर्गत धारा 528 संख्या 21594 वर्ष 2025 (श्रीमती मंगरी देवी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) और आवेदन अंतर्गत धारा 528 संख्या 21595 वर्ष 2025 (राधे श्याम एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य)-में इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि जांच 10 वर्षों से अधिक समय तक चली, उनके विरुद्ध लंबित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कार्यवाहियों को रद्द कर दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि उपरोक्त मामलों में इस न्यायालय द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियां और निष्कर्ष वर्तमान मामलों में भी समान रूप से लागू होते हैं।

10. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अतः उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, आवेदकों के विरुद्ध पूर्वोक्त मामलों में लंबित कार्यवाहियां भी रद्द किए जाने योग्य हैं।

11. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदकों की प्रार्थना का विरोध किया, परंतु वह इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि इन सभी मामलों में जांच दस वर्षों से अधिक समय तक जारी रही और राज्य सरकार जांच में हुए इस विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकी। वह इस तथ्य का भी खंडन नहीं कर सके कि आवेदन अंतर्गत धारा 528 संख्या 21588 वर्ष 2025 (गिरीश पांडेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य), आवेदन अंतर्गत धारा 528 संख्या 21594 वर्ष 2025 (श्रीमती मंगरी देवी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) और आवेदन अंतर्गत धारा 528 संख्या 21595 वर्ष 2025 (राधे श्याम एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में की गई टिप्पणियाँ वर्तमान मामलों में भी समान रूप से लागू होती हैं।

12. मैंने दोनों पक्षों को सुना है और मामले के अभिलेखों का भली-भांति परिशीलन किया है।

13. आवेदकों ने अपने विरुद्ध लंबित कार्यवाहियों को इस एकमात्र आधार पर चुनौती दी है कि सभी मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 2006 में दर्ज की गई थी, परंतु जांच बारह वर्षों से अधिक समय तक जारी रही और सभी मामलों में आरोप-पत्र 2019 के बाद दाखिल किए गए हैं। अतः, उनके 'त्वरित विचारण' के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। कानून अब पूरी तरह स्थापित है कि त्वरित विचारण के मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर, अभियुक्त के विरुद्ध लंबित कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है। (देखें: अब्दुल रहमान अंतुले बनाम आर.एस. नायक 1992 सीआरएलजे 2717)।

14. इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पी. रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 4 एससीसी 578 के मामले में भी 'अब्दुल रहमान अंतुले' मामले (उपरोक्त) में प्रतिपादित कानून का समर्थन किया और यह टिप्पणी की कि त्वरित विचारण के मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध लंबित कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है।



15. इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पंकज कुमार (उपरोक्त) के मामले में यह निर्धारित किया कि 'त्वरित विचारण' का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार न केवल अदालत की वास्तविक कार्यवाहियों पर लागू होता है, बल्कि इसके दायरे में उससे पहले होने वाली पुलिस जांच भी शामिल है। उच्चतम न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि त्वरित विचारण का अधिकार सभी आपराधिक अभियोजनों पर समान रूप से लागू होता है और यह किसी विशेष श्रेणी के मामलों तक सीमित नहीं है।

16. हाल ही में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने रॉबर्ट लालचुंगनुंगा चोंगथु उर्फ आर.एल. चोंगथु (उपरोक्त) के मामले में यह भी निर्धारित किया है कि यदि 'त्वरित विचारण' के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है और जांच में देरी होती है, तो अभियुक्त के विरुद्ध लंबित कार्यवाहियों को रद्द किया जा सकता है; हालाँकि, उच्चतम न्यायालय ने आगे यह भी टिप्पणी की कि इस संबंध में राज्य (सरकार) से स्पष्टीकरण माँगा जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, राज्य से स्पष्टीकरण माँगा गया था, लेकिन राज्य जांच में हुई देरी पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका। इसके अलावा, रिकॉर्ड पर ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि जांच में हुई देरी के लिए आवेदक जिम्मेदार थे।

17. इसके अतिरिक्त, भले ही ये सभी वर्तमान मामले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित हैं, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने रामानंद चौधरी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य ए/र 1994 एससी 948 के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि मंजूरी देने में 13 साल की देरी हुई थी। यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय ने महेन्द्र लाल दास बनाम बिहार राज्य 2002 (1) एससीसी 149 के मामले में भी जांच में देरी के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित मामले में अभियुक्त के विरुद्ध लंबित कार्यवाही को रद्द कर दिया था।

18. इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने हुसैनारा खातून एवं अन्य बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य (1980) 1 एससीसी 81 के अपने सुप्रसिद्ध निर्णय में यह भी टिप्पणी की थी कि त्वरित विचारण का अधिकार, 'जीवन और स्वतंत्रता' के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न और अनिवार्य हिस्सा है।



19. वर्तमान मामले में, चूंकि सभी मुकदमों की जांच एक दशक से अधिक समय तक जारी रही, इसलिए जांच पूरी करने में अत्यधिक विलंब हुआ है और अभियोजन पक्ष जांच में हुई इस देरी को स्पष्ट करने में विफल रहा है। यहाँ तक कि इस देरी के लिए आवेदकों को भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। अतः, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आवेदकों के 'त्वरित विचारण' के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है।

20. इसके अतिरिक्त, ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्य और व्यापक आरोपों के आधार पर वर्ष 2006 में कुल 51 एफआईआर दर्ज की गई थीं, जिनमें वर्तमान मामले भी शामिल हैं। इन सभी मामलों में जांच एक दशक से अधिक समय तक जारी रही। जब उन मामलों के कुछ अभियुक्तों ने धारा 528 बीएनएसएस के तहत अलग-अलग आवेदनों (जिनका विवरण पैराग्राफ-9 में पहले ही दिया जा चुका है) के माध्यम से कार्यवाही रद्द करने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटाखटाया, तब इस न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि जांच एक दशक से अधिक समय तक चली, उनके विरुद्ध कार्यवाहियों को रद्द कर दिया था। इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामलों में दी गई टिप्पणियाँ वर्तमान मामलों में भी समान रूप से लागू होती हैं।

21. अतः, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय की राय में, चूंकि इन सभी मामलों में जांच पूरी करने में 12 वर्षों से अधिक का विलंब हुआ है और राज्य (सरकार) जांच में देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका है, इसलिए आवेदकों के त्वरित विचारण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तथा इसलिए, उनके विरुद्ध लंबित कार्यवाहियाँ रद्द किए जाने योग्य हैं।

22. तदनुसार, उपरोक्त सभी मामलों में आवेदकों के विरुद्ध लंबित कार्यवाहियाँ एतद्वारा रद्द की जाती हैं।

23. सभी आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।

(विशेष बल दिया गया)

4. उपरोक्त के आलोक में, यह आवेदन भी स्वीकार किया जाता है और आवेदक के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 046/2006, अंतर्गत धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी, 34 भारतीय दंड संहिता, थाना सिकंदरपुर, जिला बलिया से उत्पन्न विशेष विचारण संख्या 320/2023 (राज्य बनाम कामेश्वर राय एवं अन्य), जो अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निवारण अधिनियम), न्यायालय संख्या 1, वाराणसी के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही रद्द की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि)

19 मार्च, 2026

डीकेएस

Translated Version. Not For Legal Use.